पत्रांक: 591/138/DDA/23
दिनांक 25-08-23

दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

अपील संख्या : **5 5**

अपील अंतर्गत धारा 19(1) सू. का अधि. अधिनिय 2005

समक्ष : डॉ0 एम0एस0 मन्द्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

अपीलकर्ता : डॉ0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

बनाम

प्रतिवादी : 1. लोक सूचना अधिकारी / उप कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी / सहायक कुलसचिव (प्रशासन) दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी / सहायक कुलसचिव (लेखा) दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

आदेश

डा0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, द्वारा अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर, देहरादून को मेल के माध्यम से 15 जुलाई, 2023 रात्रि 11:44 को पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त अपील को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 55 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 17 अगस्त, 2023 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 541/138/DDA/DU/2023 दिनांक 8 अगस्त, 2023 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये, जिसको कि मेल के माध्यम से सभी पक्षों को प्रेषित किया गया

1. अपील की सुनवायी हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी तथा प्रतिवादी श्री नरेन्द्र लाल, लोक सूचना अधिकारी, श्री संजय कुमार घिल्डियाल, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुयैं

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र सं0 404 दिनांक 12.06.2023 संलग्नकों सहित), प्रथम अपील पत्र इमेल दिनांक 15 जुलाई, 2023, लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय का लिखित अभिकथन पत्रांकः 458/DR/2023 दिनांक 16.08.2023 संलग्नकों सहित, सहायक लोक सूचना अधिकारी के

पत्र दिनांक 16.08.2023 तथा अपीलकर्ता एवं सभी प्रतिवादियों के मौखिक अभिकथनों को कार्रवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाया गया।

3. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उन्हें सूचना बिना कोई कारण बताये निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्रदान की गयी, जानबूझकर, अपूर्ण तथा भ्रामक सूचनायें प्रदान की गयी, सूचनायें बनायी गयी, दुर्भावनावश से सूचना देने से इन्कार किया गया, नियम विरूद्ध तरीके से सूचनायें बनायी गयी, मांगी गयी सूचनाओं को देने में बाधा डाली गयी तथा जो अभिलेख विश्वविद्यालय के भाग नही थे उन्हें उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त शुल्क भुगतान हेतु कहा गया। अपीलकर्ता डा0 विजय श्रीधर द्वारा अपने अपील ईमेल पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया कि उनका विश्वास है कि श्री मुकेश कुमार, सहायक कुलसचिव प्रशासन अपने वरिष्ठ के निर्देश के बिना ऐसी चीजें नहीं कर सकते क्योंकि वे छोटे/तुच्छ पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और बिना ज्ञान या स्वतंत्र प्रभार और दस्तावेजों की अभिरक्षा के कुलसचिव कार्यालय से जुड़े हुए हैं।

4. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील पत्र में यह उल्लेख नही किया गया कि उन्हें किन बिन्दुओं पर प्रदान की गयी सूचना पर उपरोक्त आपत्तियां हैं अथवा वे उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्हें बिन्दुवार आपत्ति पत्र देने हेतु कहा गया लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया तथापि अपील के दौरान बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करते हुये अपील प्रक्रिया संचालित की गयी। जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:—

बिन्दु सं0 1.

अपीलार्थी : मांगी गयी ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रतिवादी 3 : सहायक कुलसचिव (लेखा), द्वारा अवगत कराया गया कि यह सूचना विश्वविद्यालय में उपलब्ध नही है। लेकिन चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ है कि अपीलार्थी ऑडिट के दौरान आपत्तियों की मांग कर रहे हैं। सहायक कुलसचिव (लेखा), द्वारा अवगत कराया गया कि आपत्तियां उपलब्ध करा दी जायेंगी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : सहायक कुलसचिव (लेखा), को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आदेश निर्गत होने के 01 सप्ताह तक नियमानुसार सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

बिन्दु सं0 2.

अपीलार्थी : सूचना आवेदन के साथ पत्रांक 626/PF-29/R-DU/2017 दिनांक 1 अगस्त, 2017 को संलग्न करते हुये उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में यू.जी.सी. द्वारा प्रेषित जबाव तथा पत्र की छाया प्रति मांगी गयी, जो कि नहीं दी गई।

प्रतिवादी 2 : सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों में नही है। अपीलार्थी द्वारा जो पत्र संलग्नक के तौर पर दिया गया है वह पठनीय नही है। जैसे ही यह अभिलेख मिलते हैं अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : सहायक कुलसचिव (प्रशासन), को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पत्रावली को पुनः देखकर उक्त अभिलेख को ढूंढ कर नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करायें। यदि अभिलेख मिल

जाता है तो सम्बन्धित बिन्दु के A और B की सूचना भी लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध करायें।

बिन्दु सं0 3 पर अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

बिन्दु सं0 4.

अपीलार्थी : अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रशासन द्वारा यू.जी.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रदान की गयी और इसका मेरे से शुल्क लिया गया जो कि अनुचित है।

प्रतिवादी 2 : सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि यह सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी। इसमें यू.जी.सी. के प्रत्येक विश्वविद्यालयों के लिये दिशानिर्देश हैं कि जो भी अभ्यर्थी ओरिन्टेशन/रिफ्रेसर कोर्स करे वह यू.जी.सी. एकेडमिक कॉलेज/एच.आर.डी.सी. के तहत हो। विश्वविद्यालय इस प्रकार के दिशा निर्देशों को शिक्षकों की योग्यता एवं गुणवत्ता को बनाये रखने में प्रयोग में लाता है। रिकार्ड में वह प्रति न होने के कारण उन्हें यह दिशा निर्देश यू.जी.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड कर दिये गये। तथा नियमानुसार शुल्क लिया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : सहायक कुलसचिव (प्रशासन) द्वारा सम्बन्धित सूचना ही दी गयी है। यद्यपि यह सूचना यू0जी0सी0 की बेबसाइट से ली गयी है। रिकार्ड में प्रति न होने के कारण यू0जी0सी0 की बेबसाइट से प्रदान की गयी है।

बिन्दु सं0 5.

अपीलार्थी : अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें सूचना की नोट शीट नहीं दी गयी है।

प्रतिवादी 2 : सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 विजयलक्ष्मी का प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा दिया गया था तथा नोट शीट रिकार्ड में नहीं है क्योंकि कार्य परिषद एजेंडा कार्य परिषद अध्यक्ष से वार्ता/सहमति से तैयार किया जाता है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी– सम्बन्धित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गयी है।

बिन्दु सं0 6 एवं **बिन्दु सं0 7** पर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें इन बिन्दुओं पर कोई आपत्ति नहीं है।

बिन्दु सं0 8.

अपीलार्थी : पी0एच0डी0 प्राप्त करने के दौरान व्यय अवधि कैश पदोन्नति में अनुभव के दौरान यू0जी0सी0 और विश्वविद्यालय की क्या नीति है, पर विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रपत्र उपलब्ध कराये गये उनसे इसका सटीक उत्तर नहीं है और मुझसे इन प्रपत्रों का शुल्क लिया गया।

प्रतिवादी 2– सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि अध्ययन अवकाश में जो भी प्रोविजन है वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये गये है। अन्य कोई भी दस्तावेज इससे सम्बन्धित विश्वविद्यालय में नहीं है। उनसे नियमानुसार ही शुल्क लिया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : दस्तावेज के रूप में अभी तक यू0जी0सी0 की यही दिशानिर्देश विश्वविद्यालय में उपलब्ध है जो अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है। इसका नियमानुसार ही शुल्क लिया गया है।

बिन्दु सं0 9.

अपीलार्थी : डी0डी0ओ0 का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही अपीलार्थी द्वारा इस पर निवेदन किया गया कि वह सम्बन्धित पत्रावली देखना चाहते हैं।

प्रतिवादी 3 : सहायक कुलसचिव (लेखा), द्वारा अवगत कराया गया कि यह सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : सहायक लोक सूचना अधिकारी(लेखा) को निर्देशित दिया जाता है कि वह सम्बन्धित पत्रावली आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह तक नियमानुसार अपीलकर्ता को दिखा दें।

बिन्दु सं0 10.

अपीलार्थी : अपीलार्थी ने पत्र सं0 282/PF-29/DU/2019 दिनांक 21 मई, 2019 से सम्बन्धित नोटिंग मांगी गयी थी।

प्रतिवादी 3 : सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी परन्तु अपीलार्थी के निवेदन के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कुलसचिव (प्रशासन) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को पत्रावली दिखाई जाय और उक्त सूचना से सम्बन्धित जिसका सूचना में वह जिक्र कर रहे हैं यदि वो मांग करते है तो उन्हे उपलब्ध करा दी जाय।

5. उक्त अपील के साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी/ सहायक कुलसचिव (प्रशासन) द्वारा लिखित आपत्ति दी गई कि अपीलार्थी द्वारा उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपीलार्थी द्वारा लिखा गया है कि " *मेरा विश्वास है कि सहायक कुलसचिव प्रशासन अपने वरिष्ठ के निर्देश के बिना ऐसी चीजें नहीं कर सकते क्योंकि वे छोटे/तुच्छ पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और बिना ज्ञान या स्वतंत्र प्रभार और दस्तावेजों की अभिरक्षा के कुलसचिव कार्यालय से जुड़े हुए हैं* "।

6. लोक प्राधिकारी/कुलपति महोदया से सविनय अपेक्षा की जाती है कि वि0वि0 के कार्मिक डा0 विजय श्रीधर को यह सलाह दें कि आगे से मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। साथ ही उनका पक्ष भी जान लें कि किन आधार पर उनको लगता है कि वे वरिष्ठ के निर्देश पर सूचना देते हैं। और वरिष्ठ कौन हैं। यदि उनका आरोप सही है तो वरिष्ठ को भी सलाह दी जानी चाहिए कि वे ऐसे कृत्यों से बचें।

7. विवेचना के उपरान्त यह पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के अभिलेखों में धारित सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं। अन्य में बिन्दुवार आदेश दे दिये गये हैं।

8. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए, निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।

9. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

दिनांक 17/08/2023

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर,
पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/115

नोट : अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।